दिनांक 28.04.2018 को प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना की अध्यक्षता में खरीफ उत्पादन कार्यक्रम 2018–19 की तैयारी की समीक्षा हेतु आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – अलग से संचिका में संधारित।

1. प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना द्वारा खरीफ उत्पादन कार्यक्रम–2018 के अंतर्गत खरीफ महाभियान के अवसर पर बीज एवं अन्य उपादानों की उपलब्धता/व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) अपने प्रमंडल अंतर्गत तथा जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला अंतर्गत उपादान आपूर्ति करने वाली कम्पनियों/बिक्रेताओं की बैठक कर उपादान की उपलब्धता/व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।
2. पदाधिकारियों द्वारा बिहार राज्य बीज निगम के प्रखंडवार डीलर की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया गया। निदेशक, कृषि–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बताया गया कि 15 मई, 2018 तक प्रखंड/पंचायत स्तर तक उपादान बिक्रेताओं की संख्या बढ़ाने का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।
3. किसान चौपाल कार्यक्रम दिनांक 12 मई 2018 से प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए खरीफ महाभियान के साथ–साथ किसान चौपाल तथा कृषि महाभियान रथों को पंचायत स्तर पर घुमाकर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड के लिए बीज वाहन विकास वाहन को चलाने का निदेश संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) को प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना द्वारा दिया गया।
4. खरीफ उत्पादन कार्यक्रम 2018–19 का नाम खरीफ महाभियान–सह–महोत्सव रखने का निर्णय लिया गया।
5. खरीफ मौसम 2018 में खरीफ उत्पादन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य/प्रमंडल/जिला/प्रखंड स्तर पर खरीफ महाभियान–सह–महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
6. खरीफ उत्पादन कार्यक्रम 2018 के संबंध में आम जानकारी हेतु समाचारपत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन।
7. खरीफ महाभियान–सह–महोत्सव 2018 को सफल बनाने हेतु विभिन्न चरणों में कार्यक्रम आयोजन हेतु तिथि, स्थान एवं इसके उद्देश्य का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया –

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	निर्धारित तिथि	आयोजन स्थल	कार्यक्रम का उद्देश्य
1.	राज्य स्तरीय खरीफ महाभियान–सह– महोत्सव, 2018 का शुभारंभ (राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन)	10 मई, 2018 को 10.00 बजे पूर्वाहन	बामेती परिसर, पटना	योजनावार, जिलावार, कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी जानकारी एवं रणनीति तथा प्रसार पदाधिकारियों का क्षमतावर्द्धन।

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	निर्धारित तिथि	आयोजन स्थल	कार्यक्रम का उद्देश्य
2.	प्रमंडल स्तरीय खरीफ कर्मशाला–सह– प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	14 मई, 2018 को 10.30 बजे पूर्वाहन	सभी प्रमंडलीय मुख्यालय	कृषि एवं संबद्ध विभाग के पदाधिकारियों को खरीफ मौसम की प्रस्तावित योजनाओं / कार्यक्रमों की तकनीकी एवं प्रशासनिक दायित्वों की जानकारी सहित क्षमता का विकास।
3.	जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	17 मई, 2018 को 10.30 बजे पूर्वाहन	सभी जिला मुख्यालय	खरीफ मौसम की खेती एवं अन्य कृषि कार्य के लिए जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों / प्रसार कर्मियों एवं स्टेक होल्डर्स का विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं उनके लक्ष्य की जानकारी एवं प्रशिक्षण
4.	श्रव्य यंत्रों, तकनीकी बुलेटिनों, बीज एवं बीजोपचार कीटनाशी रसायनों से युक्त कृषि महाभियान –सह–बीज वाहन विकास वाहन रथों को हरी झण्डी दिखाकर जिलों के लिए रवानगी।	19 मई, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाहन	पटना मुख्यालय	विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों / महाभियान के संबंध में आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराना तथा किसानों को बीज एवं बीजोपचार कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराना।
5.	प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण–सह–उपादान वितरण कार्यक्रम	23–31 मई, 2018 को 10.30 बजे पूर्वाहन	सभी प्रखंड मुख्यालय	विभागीय योजनाओं / कार्यक्रमों के लाभार्थी किसानों सहित अन्य किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं चयनित किसानों के बीच अनुदान पर उपादान का वितरण।

उपर्युक्त के आलोक में प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिया गया–

- राज्य / प्रमंडल / जिला स्तरीय खरीफ महाभियान–सह–महोत्सव 2018 में विगत 03 वर्षों में भाग लेने वाले किसानों को आमंत्रित नहीं कर कृषि क्षेत्र में नवाचार / प्रगतिशील किसानों को हीं आमंत्रित किया जाए।
- राज्य स्तरीय महाभियान के पूर्व सभी योजनाओं के लिए बीज एवं अन्य उपादानों की उपलब्धता संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) / जिला कृषि पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

- प्रत्येक जिला में 02 कृषि महाभियान रथों को प्रचार–प्रसार हेतु घुमाया जाएगा जिसकी व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाए।

8. खरीफ उत्पादन कार्यक्रम 2018–19 के निम्नलिखित प्रमुख आयाम होंगे –
   i. सी0एफ0एम0एस0 / डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी किसानों के बीच अनुदान का वितरण।
   ii. बीज वाहन विकास वाहन
   iii. जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण।
   iv. किसानों की आमदनी दुगुनी करने के सुझाव / उपाय
   v. पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपनी
   vi. श्री विधि से धान की खेती
   vii. मौसम के बदलते परिवेश में धान की सीधी बुवाई
   viii. सघन बागवानी मिशन
   ix. किसान पुरस्कार कार्यक्रम
   x. कृषक हित समूह / खाद्य सुरक्षा समूह / कृषक उत्पादक संगठन का गठन
   xi. किसान पाठशाला का आयोजन
   xii. समेकित कृषि प्रणाली

9. प्रत्येक जिला में 02 बीज वाहन विकास वाहन चलाया जाएगा। प्रत्येक जिला से 02 वाहनों को बीज एवं बीज शोधन / उपचार उपादानों के साथ पंचायतों में चलाया जाएगा। एक वाहन का किराया भाड़ा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा तथा दूसरे वाहन का किराया भाड़ा परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा दिया जाएगा। प्रत्येक वाहन पर उपर्युक्त उपादानों की उपलब्धता के लिए एक उपादान बिक्रेता को भी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) द्वारा सम्बद्ध किया जाएगा।

10. इस बार कृषि महाभियान रथ का नाम कृषि महाभियान–सह–बीज वाहन विकास वाहन रथ रखा जाएगा।

11. प्रमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले खरीफ कर्मशाला में भाग लेने के लिए राज्य स्तर से एक वरीय पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया। प्रमंडलवार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का विवरण निम्न प्रकार से है –

i. पटना प्रमंडल	– श्री गणेश कुमार, निदेशक, बामेती
ii. मुजफ्फरपुर प्रमंडल	– श्री सुनिल कुमार पंकज, संयुक्त निदेशक (उद्यान)
iii. सारण प्रमंडल	– श्री डी0पी0 त्रिपाठी, निदेशक, पी0पी0एम0
iv. सहरसा प्रमंडल	– श्री राम प्रकाश सहनी, संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला
v. पूर्णिया प्रमंडल	– श्री गुलाब यादव, निदेशक, भूमि संरक्षण
vi. मुंगेर प्रमंडल	– श्री बेंकटेश नारायण सिंह, निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी